न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या :— 03 / 109 / 2018

1. राकेश मीना पुत्र राजपाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ बसरपरस्त माता जानकी देवी पत्नि स्व0 श्री राजपाल मीना ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ ....प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, अलवर
2. तहसीलदार राजगढ ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री रवि कुमार मीना एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक 15.10.2018

आज पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेंश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेंश कर निवेदन किया की हाल खाता संख्या 239 आराजी ख0नं0 151 / 0.13, 152 / 0.14, 153 / 0.08, 154 / 0.05, 155 / 0.02, 156 / 0.12, 157 / 0.12, 159 / 0.03, 160 / 0.03 वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी में प्रार्थी के पिता के राजपाल मीना काबिज खातेदार थे और आराजी को अपने हिस्से अनुसार काश्त करते थे। उक्त आराजी की हाल जमाबंदी मे प्रार्थी के पिता राजपाल मीना का नाम राजू पुत्र रामल्या दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी के पिता का दिनांक 15.11.2014 को देहान्त हो चुका है। जिनके हिस्से की आराजी पर प्रार्थी अपनी माता के साथ काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता की विरासत का इन्तकाल उसके वारीस प्रार्थी व उसकी माता के नाम दर्ज होना शेष है। प्रार्थी व उसकी माता जानकीके समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज में उनके पिता व पति का नाम राजपाल मीना दर्ज है। प्रार्थी के पिता का नाम हाल रिकार्ड मे गलत राजपाल के स्थान पर राजू दर्ज होने से उसकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी व उसकी माता के नाम दर्ज नही हो रहा है। इसलिये प्रार्थी के पिता का नाम राजू के स्थान पर राजपाल दुरूस्त किया जाना उचित है। पुष्टि में दस्तावेज जमाबंदी हाल सम्वत् 2072 से 2075 वाके ग्राम थाना व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत थानाराजाजी व भामाशाह कार्ड , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका 2017 व शपथ पत्र अन्य सह—खातेदार अमर चन्द पुत्र गुट्टा आदि व ओमकार मीना, प्रभु मीना का पेंश किया है। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से जॉच रिपोर्ट तलब की गई। उनके द्वारा रिपोर्ट क्रमांक 1589 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो को स्वीकार करते हुये प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना उचित दर्शाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस वकुलाय वकील प्रार्थीी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैसा की प्रार्थी द्वारा पुष्टि में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 वाके ग्राम थाना के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के खातेदारी कॉलम में अन्य खातेदारो के साथ राजू पुत्र रामल्या हिस्सा 1/40 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत थानाराजाजी व भामाशाह कार्ड , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका 2017 व शपथ पत्र अन्य सह–खातेदार अमर चन्द पुत्र गुट्टा आदि व ओमकार मीना, प्रभु मीना का पेंश किया है का भी अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। उक्त समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत थानाराजाजी व सह–खातेदारो का शपथ पत्र, भामाशाह कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र मध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 की अंकतालिका के अंकित इन्द्राज से प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो की सही होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज के आधार व रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थ काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम हाल आराजी ख0नं0 151/0.13, 152/0.14, 153/0.08, 154/0.05, 155/0.02, 156/0.12, 157/0.12, 159/0.03, 160/0.03 वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है। हाल रिकार्ड में जो अन्य सह–खातेदारो के साथ प्रार्थी के पिता का नाम राजू पुत्र रामल्या दर्ज है। उक्त इन्द्राज हो हजफ किया जाकर सही इन्द्राज राजपाल मीना पुत्र रामल्या दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते है। प्रार्थी उक्तानुसार अपने पिता का नाम राजू के स्थान पर राजपाल मीना हाल रिकार्ड मे दुरूस्त कराने का अधिकारी है। तहसीलदार राजगढ को निर्णय प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)